

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 788
दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....
असम में बाढ़ आपदाएँ

788. श्री सुदामा प्रसादः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने असम में बार-बार आने वाली बाढ़ आपदाओं पर ध्यान दिया है, जिनसे 2011 से 2.45 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 500 से अधिक तटबंध टूट गए हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों की इस स्वीकारोक्ति पर भी ध्यान दिया है कि भंगुर तटबंधों, अतिक्रमणों, वनों की कटाई और खराब जल निकासी ने इन संकटों को और बढ़ा दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य बाढ़-प्रवण राज्यों में इसी तरह के खतरों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और चालू मानसून में कितने तटबंध विफल हुए हैं और कितने टूटे हैं;
- (घ) सरकार की अल्पकालिक और दीर्घकालिक बाढ़ शमन योजनाओं का व्यौरा क्या है, जिसमें पणधारा प्रबंधन, आर्द्रभूमि पुनरुद्धार और आधुनिक पूर्व-चेतावनी प्रणालियों के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय शामिल हैं;
- (ङ) क्या मौजूदा अस्थायी तटबंध नीतियों को बदलने के लिए राष्ट्रीय बेसिन-स्तरीय बाढ़ प्रबंधन प्राधिकरण पर विचार किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (च) प्राकृतिक जल निकासी को सुदृढ़ बनाने, आर्द्रभूमि की सुरक्षा करने और संवेदनशील क्षेत्रों में सतत् नदी प्रवाह उपाय सुनिश्चित करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): असम हर साल अलग-अलग स्तर पर बाढ़ से प्रभावित होता है। तटबंधों की बीच, अतिक्रमण, वनों की कटाई और खराब जल निकासी के कारण यह समस्या और भी बढ़ जाती है।

बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी अलग-अलग स्तर पर इसी तरह की समस्याओं का सामना करते हैं।

सैटेलाइट इमेज (1986-2022) पर आधारित 'भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन (2024)' पर केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल क्रमशः 2.477 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए), 2.914 एमएचए, 5.174 एमएचए और 1.840 एमएचए है।

कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन राज्यों के कार्य क्षेत्र में आता है और तटबंधों की विफलताओं और ब्रीच की संख्या के आँकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। असम सरकार ने सूचित किया कि वर्ष 2011 से, असम के विभिन्न जिलों में कुल 421 तटबंधों में ब्रीच पाई गई है। मौजूदा मानसून के दौरान, कुल 3 बार ब्रीच रिकॉर्ड किए गए हैं, जिन्हें तुरंत बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस मानसून में तटबंध में कोई ब्रीच नहीं आई है।

(घ) से (च): बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और साथ ही, गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में संपूरित करती है।

एकीकृत बाढ़ प्रबंधन वृष्टिकोण का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाना है ताकि आर्थिक लागत पर बाढ़ से होने वाले नुकसान से उचित सुरक्षा प्रदान की जा सके।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रालय ने XI और XII योजना के दौरान नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र में कटाव-रोधी आदि कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) कार्यान्वित किया था जो बाद में वर्ष 2017-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और सीमित परिव्यय के साथ वर्ष 2021-2026 के दौरान आगे बढ़ाया गया। एफएमपी घटक के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को मार्च 2025 तक कुल 7260.50 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है।

बाढ़ प्रबंधन के एक गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) चिन्हित स्थानों पर संबंधित राज्य सरकारों को 24 घंटे तक के अग्रिम समय के साथ अल्पकालिक बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। सीडब्ल्यूसी उचित रूप से जलाशय विनियमन करने के लिए चयनित जलाशयों में अंतर्वाह पूर्वानुमान भी जारी करता है। इस समय, सीडब्ल्यूसी द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार 350 स्टेशनों (150 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशन + 200 लेवल पूर्वानुमान स्टेशन) पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। यह नेटवर्क राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से स्थापित किया गया है। ये पूर्वानुमान <https://ffs.india-water.gov.in> नामक एक

समर्पित वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। स्थानीय प्राधिकारियों को लोगों द्वारा स्थान को खाली कराने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए अधिक समय प्रदान करने हेतु, केंद्रीय जल आयोग ने सभी पूर्वानुमान केंद्रों के लिए 7-दिन की अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान एडवाइजरी हेतु वर्षा-रनओफ गणितीय मॉडलिंग पर आधारित बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। इसका प्रसार <https://aff.india-water.gov.in> नामक एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है। केंद्रीय जल आयोग की बाढ़ पूर्वानुमान सेवा को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) को जारी किए गए एकीकृत अलर्ट प्रसार प्लेटफॉर्म, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

वाटरशेड प्रबंधन और आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन क्षेत्र सहित बाढ़ मैदान ज़ोनिंग, बाढ़ नियंत्रण का एक प्रभावी तरीका है जिसमें बाढ़ जल भंडारण और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन की क्षमता है। बाढ़ मैदान ज़ोन में बाढ़ की पुनः आने की अवधि के अनुसार क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है, जिसमें आम जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि का वर्गीकरण भी शामिल है। मंत्रालय द्वारा राज्यों को बाढ़ मैदानों और उनके ज़ोनिंग का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए, बाढ़ मैदान ज़ोनिंग पर एक तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किया गया है।
